



छावनी परिषद कार्यालय, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश - 209601
Cantonment Board Office, Fatehgarh, Farrukhabad, Uttar Pradesh - 209601
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय Govt. of India, Ministry of Defence
दूरभाष/Tele: 05692 297422, ई-मेल/E-Mail: ceofate-stats@nic.in



File No. FCB / ADM / Bye Laws / 2024 / 1281

05 फरवरी, 2024

To,

The Editor,
Hindustan
Farrukhabad (U.P.)

SUB: **PUBLICATION OF NOTICE.**

Please find enclosed herewith a copy of notice for publication in your daily Hindi News Paper i.e. "Hindustan" in one insertion only in its appropriate column/page in 6cm x 10cm size on reasonable Govt. rate & submit your bill for payment.

(Sudhir Kumar)
Chief Executive Officer
Cantt. Board Fatehgarh.

छावनी परिषद फतेहगढ़
E-mail: ceofate-stats@nic.in

The general public is hereby informed that the Cantt Board Fatehgarh in exercise of the Power Conferred by Section 290 & 348 of Cantt. Act, 2006 has prepared & approved the Draft Bye laws for (1) Bye laws for Water Supply & Water Connection in Fatehgarh Cantt. 2024, (2) Bye laws for Registration & Control on Dogs kept in Fatehgarh Cantt. 2024.

In this connection, the persons interested may pursue above said Bye Laws and may submit the comments / suggestions in the office of the Cantonment Board Fatehgarh during working hours within 30 days or via email (ceofate-stats@nic.in) from the date of publication of this notice. Draft is available on <https://fatehgarh.cantt.gov.in>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद फतेहगढ़ द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 348 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छावनी परिषद फतेहगढ़ के मसौदा (1) छावनी क्षेत्र फतेहगढ़ सीमान्तर्गत जल आपूर्ति एवं जल संयोजन की उपविधि 2024, (2) छावनी क्षेत्र फतेहगढ़ सीमान्तर्गत कुत्तों का पंजीकरण एवं नियंत्रण की उपविधि 2024, तैयार कर स्वीकृत किया गया है।

इस सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त उपविधियों पर अपनी टिप्पणी/सुझाव इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रकाशन तिथि के 30 दिनों के अन्दर दे सकते हैं अथवा कार्यालय की ई-मेल (ceofate-stats@nic.in) पर भी भेज सकते हैं, जो कि छावनी परिषद कार्यालय फतेहगढ़ की वेबसाइट <https://fatehgarh.cantt.gov.in> पर उपलब्ध है।

(सुधीर कुमार)

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद फतेहगढ़।

प्रतिलिपि :-

1. कार्यालय नोटिस बोर्ड।
2. छावनी परिषद फतेहगढ़ की वेबसाइट।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 4]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2024

S.R.O. _____ WHEREAS the draft bye-laws, namely, the Bye-laws for Water Supply and Water Connections in fatehgarh cantonment were published by the Cantonment Board Fatehgarh *vide* Publication number FCB/ADM/Bye-laws/Regu./2024/1281 dated 05 th Feb., 2024 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Publication containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the public notice containing the said Publication were made available to the public on the 05th Feb., 2024, and notice of the same put on the Cantonment Board Notice Board and also published in the local paper namely Dainik Hindustan on 06th Feb 2024 as well as website of the Cantonment Board Fatehgarh (<https://fatehgarh.Cantonmentgov.in>) on the 05th Feb., 2024:

AND WHEREAS _____ objection or suggestion was received from the public within the specified period:

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 348 (35) & (36) read with Section 350 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Fatehgarh Cantonment Board with the approval of the Central Government hereby makes the following bye-laws namely;

1. **Short title and commencement:** - These Bye-laws may be called '**the Bye-laws for Water Supply and Water Connections in Fatehgarh Cantonment, 2024**'.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definition- In these bye-laws, unless the context otherwise requires;

(a) "The Board" means the Cantonment Board, Fatehgarh;

(b) "Distribution pipes" includes any water main under the control of the Board for the purpose of supplying water within its jurisdiction;

(c) "Forms" means a Form appended to these bye-laws;

(d) "Holding" means land held under a title or agreement and surrounded by one set of boundaries and includes two or more adjoining holdings forming part and parcel of the site of premises or a dwelling house of place or places of trade any business;

(e) "Service pipes" means the connection which is with the distribution pipes under the control of the Board for the purpose of leading water to premises for domestic purposes;

(f) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Cantonments Act, 2006 (No.41 of 2006) shall have the meanings respectively, assigned to them in that Act.

3. **Restriction for use of water: -** No person shall bath or wash any animal, clothes, wool, leather, skins, utensils or any other things at any public stand post of hydrant or use water for building purposes or otherwise willfully cause a waste thereof.

4. **Authority to operate public installations: -** No person other than a person duly authorised by the Board or the Chief Executive Officer for the purpose shall open or inspect or in any way interfere with any water pipeline, sluice valve, plug or other fittings belonging to or appertaining to any public installation other than a tap for drawing water.

5. **Tempering with water tap or stand post: -** No person shall tamper with any water tap, stand post or hydrant belonging to Cantonment Board so as to cause any damage to the mechanism or working of such tap, stand post or hydrant.

6. **Restriction for willful waste of water :-** No person shall willfully waste or cause or allow to be wasted any water from any pipe, public stand post, hydrant, valve or fittings or shall cause it to be tapped by means of rubber pipe or any other contrivance or to be diverted through any other channel.

7. **Manner of drawing water: -** All water obtained from a public stand post or hydrant shall be carried there from in clean vessels or other utensils.

8. **Application for connection: -** Every application for the supply of water under these Bye-laws shall be in writing and signed by the owner or occupier of the building or land in Form "A" and the work necessary for such supply shall not be commenced until the applicant has deposited with the Chief Executive Officer such estimated cost of expenditure inclusive of road cutting and reinstatement charges and before such date as may be fixed by him in this behalf.

9. **Connection Fees: -** An application under Bye-laws 8 shall be accompanied by a connection fee of Rs.100/- (Rupees one hundred only).

10. **Road cutting charges -** The applicant shall also have to pay road cutting charges on the prevailing rates as approved by the Board from time to time.

11. **Supervision Charges:** - The estimated cost of expenditure referred to in Bye-laws 8 shall also include supervision charges on the prevailing rates as approved by the Board from time to time.

12. **Flat Rate Water Supply:** - A house connection for dwelling in which water would be consumed for domestic purposes shall be permitted on the flat rate system and the pipe connection granted prior to the date of commencement of these Bye-laws shall also be converted into the flat rate system.

The water connection shall be allowed at flat rate of Rs. 25/- (Rupees Twenty Five only) per month per tap or Rs.300/- (Rupees Three Hundred only) per annum and Rs.15/- (Rupees Fifteen only) per month or Rs.180/- (Rupees One Hundred Eighty only) per annum for an each additional tap or on revised rates from time to time as fixed by the Board.

13. **Laying pipe line etc.** :- In every case in which a new service pipe connection with the distribution pipe of the Board is made or any such existing connection requires renewal or repair or alteration or extension, all necessary communication pipes and fittings from and including the stop cock nearest the distribution pipe shall be supplies by the Board and the work of laying and supplying such communication pipes and fitting upto the stop cock shall be executed by the Chief Executive Officer, but the cost of such work shall be met by the consumer who shall be liable to pay the said sum in advance before the connection is made or renewed.

14. **Size of service pipe connection** :- (1) The service pipe for a houses service pipe connection shall be of such a bore not less than 12 mili meters and not more than 20 mili meters as may be determined by the Board in each case.

(2) The size of the ferrule shall be less in size than the bore of the service pipe.

(3) No service pipe connection shall be open into a latrine or be laid through it.

15. **Power to renew or alter service pipe connection** :- (1) No service pipe connection with the distribution pipe of the Board shall be made, renewed or altered or extended, except by a written authority of the Chief Executive officer and until the certificate specified in Byelaw in 17 has been given.

(2) The consumer shall not renew, alter or extend the service pipe connection inside or outside his house, without the previous permission, in writing of the Board.

16. **Provision of pipes or fittings inside premises**: Communications pipes and fittings required for providing house service pipe connection beyond the stop cock inside the premises shall be provided by the consumer at his cost and no material shall be used which are not approved by the Chief Executive Officer and which do not conform to the standard specifications as specified in MES schedule of Rates – Part-I.

17. **Execution of the work by licensed plumber:** All communication pipes and fittings beyond the stop cock referred to in the Bye-laws 16 shall be laid and applied by a plumber duly licensed by the Board under the direct supervision of the Chief Executive Officer or the Junior Engineer who shall give and sign a certificate free of charges when such communication pipes and all the necessary fittings and work have been laid, applied and executed in satisfactory manner and sufficient arrangement have been made for draining of waste water and thereafter the supply of water to the premises may be commenced.

18. **Charges for water for any purpose other than domestic purposes:** The charges for water supply for purpose other than the domestic use shall be at such rate as may be agreed upon between the Board and such owner or lessee or occupier but shall not be less than one and half times of the prevailing rate thereof for domestic use.

19. **Number of water taps. :** - No house connection for the supply of water shall ordinarily have more than two water taps and for additional such taps, permission of the Chief Executive officer shall be necessary.

20. **Authority to close, reduce, stop water supply.** The Board may withdrawal or curtail the supply of water when it appears necessary to do so for the purpose of maintaining sufficient supply of water for domestic use by inhabitants of the Fatehgarh Cantonment or due to accident, drought or other unavoidable causes. The Cantonment Board shall not be liable to pay any damages for any such act or omission.

20. Security deposit and payment of charges by consumers :

(1) All consumers of water supply shall deposit with the Cantonment Board a refundable security of Rs. 500/- (Rupees Five Hundred only).

(2) The monthly charges for the water consume shall be payable within 30 days from the presentation of the bill.

(3) If a consumer of water supply fails to make payment of the said monthly charges, as required under Sub - bye law (2) the same shall be deducted from the said security deposit, and the water supply may also be disconnected thereafter if the said consumer fails to make payment of the said monthly charges within seven days on issue of a notice from the Board in this regard.

21. Appeal :

(1) Any person aggrieved by a decision of the Chief Executive Officer, made under these bye-laws, may, within 30 days from the date on which the decision is communicated to him, prefer an appeal to the Cantonment Board.

Provided that the Board may entertain the appeal after the expiry of the period of 30 days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient causes from filling the appeal in time.

(2) On receipt of appeal made under sub- bye law (1) the Cantonment Board shall, after giving the appellant an opportunity of being heard, dispose of the appeal as expeditiously as possible.

22. Penalty:

(a) If any person contravenes any provisions of these bye-laws he shall be punishable with fine which may extend up to Rs.5000/- (Rupees Five Thousand rupees only) and where the contravention is a continuing one, with an additional fine which may extend to Five hundred rupees for every day during which such contravention continues after conviction of the first such contravention.

(b) In case of willful wastage of water by opening of tap without any use, a fine of Rs.100/- (Rupees One Hundred Only) for first instance and Rs.200/- (Rupees Two Hundred Only) for subsequent instance shall be charged from the violator.

[F.No. FCB/ ADM/Bye-laws/Regu/2024]

(Sudhir Kumar)
Chief Executive Officer,
Fatehgarh Cantonment

FORM "A"

(See bye-laws 8 and 9)

**FORM OF APPLICATION FOR A HOUSE CONNECTION FOR THE SUPPLY OF WATER
FOR DOMESTIC/NON - DOMESTIC/COMMERCIAL PURPOSES.**

To,

The Chief Executive Officer,
Fatehgarh Cantonment.

Dear Sir,

**Sub: APPLICATION UNDER SECTION 191 OF THE CANTONMENTS ACT, 2006
(41 OF 2006).**

I request you to grant house service connection to my premises No.....in.....Street Ward No..... Fatehgarh Cantonment for the supply of water for DOMESTIC/NON-DOMESTIC/COMMERCIAL use subject to the terms and conditions laid down in the bye-laws framed by the Cantonment Board under clauses (35) and (36) of Section 348 of Cantonments Act 2006.

A detailed estimate of work prepared by a plumber licensed by the Cantonment Board beyond the stop cock inside the premises is enclosed herewith.

Signature of Applicant.

Place:-

Date:-

(2)

Works Engineer, Fatehgarh Cantonment Board to put up a detailed estimate of cost for the grant of house service connection upto stock cock for carrying out the work departmentally within.....days for approval by the Cantonment Board.

**Chief Executive Officer,
Fatehgarh Cantonment Board.**

(3)

Approved by order of Cantonment Board vide Resolution No.....dated.....

**Chief Executive Officer,
Fatehgarh Cantonment Board.**

(4)

The application will be sanctioned provided that a sum of Rs..... being the connecting fee and the cost of the communication pipes, fittings required for providing house service connection from the distribution mains to the stop cock is paid in the Cantonment office within 15 days from the issue.

If any sanctioned work be not completed by licensed plumber within 15 days from the date of sanction, the sanction will be considered void, and before the work may be begun, fresh sanction will have to be obtained.

**Chief Executive Officer,
Fatehgarh Cantonment Board.**

(5)

Works Engineer, Cantonment Board Fatehgarh, to carry out the work sanctioned in the attached estimate and report on completion.

**Chief Executive Officer,
Fatehgarh Cantonment Board.**

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 2024

एस०आर०ओ० _____ चूंकि प्रारूप उपनियम, फतेहगढ़ छावनी क्षेत्र में (जल आपूर्ति एवं जल संयोजन) उपविधि _____, 2024 छावनी परिषद फतेहगढ़ द्वारा प्रकाशन संख्या FCB/ADM/Byelaws/Reagu./2024/1281 दिनांकित 05 फरवरी, 2024 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी इनसे प्रभावित होने की सम्भावना थी, उस दिनांक से, जिस दिनांक को उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट प्रकाशन की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए।

उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट प्रकाशन की प्रतियां दिनांक 05 फरवरी, 2024 को जनता को आपत्ति एवं सुझाव हेतु उपलब्ध कराई गई और इस आशय की सूचना छावनी परिषद सूचना बोर्ड पर दर्शाई गई तथा दिनांक 06 फरवरी, 2024 को स्थानीय समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान तथा छावनी परिषद फतेहगढ़ की वेबसाइट (<https://fatehgarh.cantt.gov.in>) पर भी दिनांक 05 फरवरी, 2024 को प्रकाशित की गई

तथा कोई आपत्ति अथवा परामर्श विनिर्दिष्ट अवधि के अधीन जनता से प्राप्त हुआ।

अतः छावनी अधिनियम, 2006 (2006 की 41) की धारा 348 (35) & (36) को धारा 350 के साथ पढ़ा जाये, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से फतेहगढ़ छावनी परिषद निम्नलिखित उप-विधि बनाती है:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (1) इन उप-नियमों का संक्षिप्त नाम फतेहगढ़ छावनी में जल आपूर्ति एवं जल संयोजन उपविधि 2024 होगा।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं: इन उप-विधियों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "बोर्ड" का तात्पर्य छावनी परिषद फतेहगढ़ से है।
- (ख) "वितरण पाइप" में इसके अधिकार क्षेत्र के भीतर जल आपूर्ति के उद्देश्य से बोर्ड के नियंत्रण में कोई भी जल मुख्य लाइन शामिल है।
- (ग) "प्रपत्र" का तात्पर्य इन उपविधियों से जुड़े एक प्रपत्र से है।
- (घ) "जोत" का अर्थ है एक शीर्षक या समझौते के तहत रखी गई भूमि और सीमाओं के एक समूह से घिरा हुआ और इसमें दो या दो से अधिक आसन्न जोत शामिल हैं जो परिसर की साइट या निवास स्थान या किसी व्यवसाय के व्यापार के स्थान का हिस्सा बनाते हैं।

(ङ) “सर्विस पाइप” का अर्थ है संयोजन जो घरेलू उद्देश्यों के लिये परिसर तक पानी पहुँचाने के उद्देश्य से बोर्ड के नियन्त्रण में वितरण पाइप के साथ है।

-2-

(च) यहां उपयोग किये गये और परिभाषित नहीं किये गये, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 41) में परिभाषित शब्दों अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन्हें उस अधिनियम में दिये गये हैं।

3. **जल के उपयोग पर प्रतिबन्ध :-** कोई भी हाइड्रेंट के किसी भी सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट पर किसी भी जानवर, कपड़े, ऊन, पंख, खाल, बर्तन या अन्य किसी चीज को नहीं नहलायेगा या धोएगा या भवन निर्माण के उद्देश्यों हेतु पानी का उपयोग नहीं करेगा या जानबूझकर जल अपव्यय नहीं करेगा।
4. **सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को संचालित करने का अधिकार :-** इस उद्देश्य हेतु बोर्ड या मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत् अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति पानी खींचने के लिये नल के अलावा किसी भी सार्वजनिक स्थापना हेतु किसी भी पानी की पाइपलाइन, स्लुइस वाल्व, प्लग या सम्बन्धित अन्य फिटिंग को नहीं खालेगा या निरीक्षण नहीं करेगा या किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा।
5. **पानी के नल या स्टैंड पोस्ट के साथ छेड़छाड़ :-** कोई भी व्यक्ति छावनी परिषद के किसी भी पानी के नल, स्टैंड पोस्ट, या हाइड्रेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, जिससे ऐसे नल, स्टैंड पोस्ट या हाइड्रेंट के तन्त्र या कामकाज को कोई हानि हो।
6. **जानबूझकर पानी की अपव्यय पर प्रतिबन्ध :-** कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी पाइप, सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट, हाइड्रेंट, वाल्व या फिटिंग से पानी अपव्यय नहीं करेगा या अपव्यय करने नहीं देगा या उसे रबर पाइप या किसी अन्य साधन के माध्यम से दोहन नहीं करेगा या किसी अन्य के चैनल माध्यम से दूसरे मार्ग पर नहीं हटाएगा।
7. **पानी खींचने का तरीका :-** सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट या हाइड्रेंट प्राप्त सारा पानी साफ बर्तनों या अन्य बर्तनों में ले जायेगा।
8. **संयोजन हेतु आवेदन :-** इस उपविधियों के तहत पानी की आपूर्ति हेतु प्रत्येक आवेदन लिखित रूप में होगा और भवन या भूमि के मालिक या अधिभोगी द्वारा प्रपत्र “क” में हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसी आपूर्ति हेतु तब तक आवश्यक कार्य शुरू नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक मुख्य अधिशासी अधिकारी के पास सड़क काटने और पुनर्स्थापन शुल्क सहित व्यय की ऐसी अनुमानित लागत जमा नहीं कर देता है और ऐसी तिथि से पहले जो इस सम्बन्ध में उनके द्वारा तय की जा सकती है।
9. **संयोजन शुल्क :-** उपविधि 8 के तहत एक आवेदन के साथ रू0 100/- (केवल एक सौ रुपये) का संयोजन शुल्क संलग्न किया जायेगा।
10. **सड़क काटने का शुल्क :-** आवेदक को बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रचलित दरों पर रोड कटिंग शुल्क भी देना होगा।
11. **पर्यवेक्षण शुल्क :-** उपविधि 8 में निर्दिष्ट व्यय की अनुमानित लागत में समय-समय पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रचलित दरों पर पर्यवेक्षण शुल्क भी सम्मिलित होगा।
12. **एक समान दर जल आपूर्ति :-** आवास हेतु एक घरेलू संयोजन जिसमें घरेलू प्रयोजनों हेतु पानी की खपत की होती है, को समान दर प्रणाली पर अनुमति दी जायेगी और इन उपविधियों के प्रारम्भ होने की तिथि से पहले दिये गये पाइप संयोजन को भी समान दर प्रणाली में परिवर्तित किया जायेगा।

पानी का संयोजन समान दर प्रणाली पर रू0 25/- (पच्चीस रुपये मात्र) प्रति माह प्रति नल या रू0 300/- (तीन सौ रुपये मात्र) प्रति वर्ष और रू0 15/- (पन्द्रह रुपये मात्र)

प्रति माह या प्रत्येक अतिरिक्त नल हेतु प्रति वर्ष रू0 180/— (एक सौ अस्सी रुपये मात्र) या बोर्ड द्वारा निर्धारित समय-समय पर संशोधित दरों पर दिया जायेगा।

—3—

13. **पाइप लाइन आदि बिछाना :-** प्रत्येक मामले में जहां बोर्ड के वितरण पाइप के साथ एक नया सर्विस पाइप संयोजन बनाया जाता है या ऐसे किसी मौजूदा संयोजन को नवीनीकरण या मरम्मत या परिवर्तन या विस्तार की आवश्यकता होती है, सभी आवश्यक संचार पाइप, फिटिंग और वितरण पाइप के निकटतम स्टॉप कॉक सहित आपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी और ऐसे संचार पाइपों को बिछाने और आपूर्ति करने और स्टॉप कॉक तक फिट करने का कार्य मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा निष्पादित कराया जायेगा, लेकिन ऐसे काम की लागत को वहन किया जायेगा, उपभोक्ता संयोजन लेने या नवीनीकृत करने से पहले उक्त राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।
14. **सर्विस पाइप संयोजन का आकार :-** (1) घरों के सर्विस पाइप संयोजन हेतु सर्विस पाइप ऐसे बोर का होगा जो 12 मि0मी0 से कम नहीं और 20 मि0मी0 से अधिक नहीं होगा जैसा कि प्रत्येक मामले में बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) फेरूल का आकार सर्विस पाइप के बोर से छोटा होगा।
(3) कोई भी सर्विस पाइप संयोजन शौचालय में खुला नहीं होगा या उसमें से नहीं बिछाया जायेगा।
15. **सर्विस पाइप संयोजन को नवीनीकृत करने या बदलने की शक्ति :-** (1) बोर्ड के वितरण पाइप के साथ कोई भी सर्विस पाइप संयोजन मुख्य अधिशासी अधिकारी के लिखित प्राधिकार के अतिरिक्त और प्रमाणपत्र मिलने तक नहीं बनाया, नवीनीकृत, परिवर्तित या विस्तारित नहीं किया जायेगा, 17 में उपविधि में निर्दिष्ट किया गया है।
(2) उपभोक्ता बोर्ड की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अपने घर के अन्दर या बाहर सर्विस पाइप संयोजन का नवीनीकरण, परिवर्तन या विस्तार नहीं करेगा।
16. **परिसर के अन्दर पाइप या फिटिंग का प्रावधान :-** परिसर के अन्दर स्टॉप कॉक से परे घरेलू सर्विस पाइप संयोजन प्रदान करने हेतु आवश्यक संचार सामग्री और फिटिंग उपभोक्ता द्वारा अपनी लागत से प्रदान की जायेगी तथा ऐसी किसी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जायेगा जो मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है तथा जो भाग-। की दरों की एम.ई.एस. अनुसूची में निर्दिष्ट मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है।
17. **लाइसेंस प्राप्त प्लम्बर द्वारा कार्य का निष्पादन :-** उपविधि 16 में निर्दिष्ट स्टॉप कॉक से परे सभी संचार पाइप और फिटिंग मुख्य अधिशासी अधिकारी की प्रत्यक्ष देख रेख में बोर्ड द्वारा विधिवत लाइसेंस प्राप्त प्लम्बर द्वारा लगाये जायेंगे। जब ऐसे संचार पाइप और सभी आवश्यक फिटिंग और कार्य सन्तोषजनक तरीके से बिछाए, लागू और निष्पादित किये गये हों और अपशिष्ट जल की निकासी और उसके बाद आपूर्ति हेतु पर्याप्त व्यवस्था की गई हो तो अवर अभियन्ता निःशुल्क प्रमाणपत्र देगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा तब परिसर में पानी देना शुरू किया जा सकता है।
18. **घरेलू उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य हेतु पानी का शुल्क :-** घरेलू उपयोग के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु जल आपूर्ति का शुल्क ऐसी पर होगा जिस पर बोर्ड और ऐसे मालिक या पट्टेदार या अधिभोगी के बीच सहमति हो, लेकिन घरेलू उपयोग हेतु प्रचलित दर के डेढ़ गुना से कम नहीं होगा।
19. **पानी के नलों की संख्या :** पानी की आपूर्ति हेतु किसी भी घरेलू संयोजन में आमतौर पर दो से अधिक पानी के नल नहीं होंगे और अतिरिक्त नल के लिये मुख्य अधिशासी अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी।

20. **जल आपूर्ति को रोकने, बन्द करने, कम करने का प्राधिकार :** छावनी परिषद फतेहगढ़ के निवासियों द्वारा घरेलू उपयोग हेतु पानी की आपूर्ति बनाये रखने के उद्देश्य से या दुर्घटना, सूखे या अन्य अपरिहार्य कारणों से बोर्ड पानी की आपूर्ति को वापस ले सकता है या कम कर सकता है। छावनी बोर्ड ऐसे किसी भी कार्य या चूक के लिये किसी हानि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

20. **उपभोक्ताओं द्वारा सुरक्षा जमा एवं शुल्क का भुगतान :**

(1) जल आपूर्ति के सभी उपभोक्ताओं को छावनी बोर्ड के पास रु0 500/— (पाँच सौ रुपये मात्र) की वापसी योग्य सुरक्षा जमा धनराशि जमा करनी होगी।

(2) जल उपभोग हेतु मासिक शुल्क बिल प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर देय होगा।

(3) यदि जल आपूर्ति का कोई उपभोक्ता उक्त मासिक शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, जैसा कि उपविधि (2) के तहत आवश्यक है, तो उसे उक्त सुरक्षा जमा धनराशि से काट लिया जायेगा तथा उसके बाद जल आपूर्ति भी काट दी जा सकती है, यदि उक्त उपभोक्ता इस सम्बन्ध में बोर्ड से नोटिस जारी होने पर सात दिनों के भीतर उक्त मासिक शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है।

21. **अपील :**

(1) इन उपविधियों के तहत मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति निर्णय की सूचना दिये जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर छावनी बोर्ड में अपील कर सकता है।

बशर्ते कि बोर्ड 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह सन्तुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील भरने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

(2) उप-विधि (1) के तहत की गई अपील की प्राप्ति पर छावनी बोर्ड अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपील का यथासम्भव शीघ्र निपटान करेगा।

22. **जुर्माना :**

(क) यदि कोई व्यक्ति इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा जो रु0 5000/— (पाँच हजार रुपये मात्र) तक बढ़ाया जा सकता है और जहां उल्लंघन जारी है वहां अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा, जो प्रत्येक दिन के लिये पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसे उल्लंघन के दौरान जो पहले उल्लंघन के दोषी ठहराए जाने के बाद भी जारी रहता है।

(ख) बिना किसी उपयोग के नल खोलकर पानी की जानबूझकर अपव्यय के मामले में पहली बार रु0 100/— (एक सौ रुपये मात्र) और अगली बार के लिये रु0 200/— (दो सौ रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया जायेगा, जो उल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

[पत्रावली संख्या FCB/ADM/Bye-laws-/Reagu/2024]

(सुधीर कुमार)

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
फतेहगढ़ छावनी।

प्रपत्र "क"

(उप-विधि 8 एवं 9 देखें)

घरेलू/गैर-घरेलू/व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु जल आपूर्ति हेतु घरेलू संयोजनके लिये
आवेदन प्रपत्र।

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
फतेहगढ़ छावनी।

महोदय,

विषय: छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 191 के तहत आवेदन।

आपसे अनुरोध है कि घरेलू/गैर-घरेलू/व्यावसायिक उपयोग हेतु पानी की आपूर्ति के लिये मेरे भवन सं.....गली.....वार्ड सं0.....फतेहगढ़ छावनी में घरेलू सर्विस संयोजन प्रदान करें, जो कि छावनी बोर्ड द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 348 के खण्ड (35) व (36) के तहत बनाए गये उप-विधियों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है।

परिसर के अन्दर स्टॉप कॉक से परे छावनी बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त प्लंबर द्वारा तैयार किये गये कार्य का विस्तृत प्राक्कलन इसके साथ संलग्न है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:-

दिनांक:-

(2)

कार्य इंजीनियर, फतेहगढ़ छावनी बोर्ड को स्टॉक कॉक तक घरेलू सर्विस संयोजन के अनुदान हेतु लागत का एक विस्तृत प्राक्कलन छावनी बोर्ड द्वारा अनुमोदन हेतु दिनों के भीतर विभागीय रूप से कार्य पूरा करने हेतु प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
फतेहगढ़ छावनी।

(3)

छावनी बोर्ड की संकल्प संख्या.....दिनांकित.....के आदेश द्वारा अनुमोदित

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद फतेहगढ़।

(4)

आवेदन स्वीकृत किया जायेगा बशर्ते कि रु0.....संयोजन शुल्क और संचार पाइप की लागत, वितरण मेन से स्टॉप कॉक तक घरेलू सर्विस संयोजन प्रदान करने के लिये आवश्यक फिटिंग का भुगतान जारी होने के 15 दिनों के भीतर छावनी कार्यालय में किया जाता है।

यदि कोई स्वीकृत कार्य स्वीकृति की तिथि से 15 दिनों के भीतर लाइसेंस प्राप्त प्लंबर द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो स्वीकृति निरस्त मानी जाएगी और कार्य पुनः शुरू करने से पहले नवीन स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद फतेहगढ़।

(5)

कार्य इंजीनियर, फतेहगढ़ छावनी बोर्ड को संलग्न प्राक्कलन में स्वीकृत कार्य को पूरा करना होगा तथा पूरा होने पर आख्या देनी होगी।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद फतेहगढ़।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 4]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2024

S.R.O. _____ WHEREAS the draft bye-laws, namely, the Bye-laws for Registration and Control of dogs kept in fatehgarh cantonment were published by the Cantonment Board Fatehgarh *vide* Publication number FCB/ADM/Bye-laws/Regu./2024 dated 05th Feb., 2024 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Publication containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the public notice containing the said Publication were made available to the public on the 05th Feb., 2024, and notice of the same put on the Cantonment Board Notice Board and also published in the local paper namely Dainik Hindustan on 06th Feb 2024 as well as website of the Cantonment Board Fatehgarh (<https://fatehgarh.cantt.gov.in>) on the 05th Feb., 2024:

AND WHEREAS ____ objection or suggestion was received from the public within the specified period:

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 290 read with Section 350 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Fatehgarh Cantonment Board with the approval of the Central Government hereby makes the following bye-laws namely:

1. **Short title and commencement:** - These Bye-laws may be called **the Bye-laws for Registration and Control of Dogs kept in Fatehgarh Cantonment 2024**.
2. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
3. **Definitions-** In these bye-laws, unless the context other-wise requires :-
 - (a) "The Board" means the Cantonment Board, Fatehgarh;
 - (b) "The Act" means the Cantonments Act;
 - (c) " The Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Cantonment Board.
4. Every dog of the age of three months or over kept within cantonment limits shall be registered in a register prescribed by the Board, such registration shall hold good up to March 31, next following:

Provided that no registration shall be necessary if the dog is kept within the Cantonment for a period not exceeding one month.

5. The Officer Commanding of each military unit in the Cantonment shall cause to be registered all dogs, kept in the lines occupied by his unit and shall forward to the Chief Executive Officer quarterly on April 1, July 1, October 1, and January 1, a list of all such dogs and their owners.
6. All persons in the Cantonment residing outside military lines who own or keep dogs shall register them at office of the Cantonment Board.
7. Every registered dog shall wear a collar to which shall be attached a metal-token issued by the Chief Executive Officer for which a fee of Rs.120/- per annum + prevailing actual cost of token will be charged and which will bear the same number as the one in the register. If a token is lost a duplicate may be obtained on payment of prevailing actual cost of token. The annual fee shall be revised periodically by the Board.
8. Any dog which is liable to registration but has not been registered or is not wearing the metal token shall, is found in any public place, be detained at place set a part for the purpose by the Cantonment authority.
9. A fee of Rs.200/- per diem shall be charged for such detention and any such dog shall be liable to be disposed of as per Rules unless it is claimed and the fee paid within one week.

PENALTY

10. In exercise of the power conferred by section 349 of the Act, the board hereby directs that a breach of byelaw 4 above shall be punishable with a fine which may extend to Rs.500/-

[F.No. FCB/ ADM/Bye-laws/Regu/2024]

(Sudhir Kumar)
Chief Executive Officer,
Fatehgarh Cantt.

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 2024

एस०आर०ओ० _____ चूंकि प्रारूप उपनियम , फतेहगढ़ छावनी क्षेत्र में (कुत्तों का पंजीकरण एवं नियंत्रण) उपविधि , 2024 छावनी परिषद फतेहगढ़ द्वारा प्रकाशन संख्या FCB/ADM/Byelaws/Reagu./2024/1281 दिनांकित 05 फरवरी, 2024 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी इनसे प्रभावित होने की सम्भावना थी, उस दिनांक से, जिस दिनांक को उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट प्रकाशन की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए।

उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट प्रकाशन की प्रतियां दिनांक 05 फरवरी, 2024 को जनता को आपत्ति एवं सुझाव हेतु उपलब्ध कराई गईं और इस आशय की सूचना छावनी परिषद सूचना बोर्ड पर दर्शाई गई तथा दिनांक 06 फरवरी, 2024 को स्थानीय समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान तथा छावनी परिषद फतेहगढ़ की वेबसाइट (<https://fatehgarh.cantt.gov.in>) पर भी दिनांक 05 फरवरी, 2024 को प्रकाशित की गई

तथा कोई आपत्ति अथवा परामर्श विनिर्दिष्ट अवधि के अधीन जनता से प्राप्त हुआ।

अतः छावनी अधिनियम, 2006 (2006 की 41) की धारा 290 को धारा 350 के साथ पढ़ा जाये , के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से फतेहगढ़ छावनी परिषद निम्नलिखित उप-विधि बनाती है:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (1) इन उप-नियमों का संक्षिप्त नाम **फतेहगढ़ छावनी में कुत्तों का पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि 2024** होगा।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं: इन उप-विधियों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) “बोर्ड” का तात्पर्य छावनी परिषद फतेहगढ़ से है।
- (ख) “अधिनियम” का अर्थ छावनी अधिनियम से है
- (ग) “मुख्य अधिशासी अधिकारी” का तात्पर्य छावनी परिषद फतेहगढ़ के मुख्य अधिशासी अधिकारी से है।

3. छावनी सीमा के अन्तर्गत रखे गये तीन माह या उससे अधिक उम्र के प्रत्येक कुत्ते को बोर्ड द्वारा निर्धारित रजिस्टर में पंजीकृत किया जायेगा, ऐसा पंजीकरण अगले 31 मार्च तक वैध रहेगा :

बशर्ते कि कोई पंजीकरण आवश्यक नहीं होगा:-

- (क) यदि कुत्ते को एक माह से कम अवधि के लिये छावनी क्षेत्र में रखा जाता है।

4. छावनी में प्रत्येक सैन्य इकाई का कमांडिंग अधिकारी अपनी इकाई की सीमा में रखे गये सभी कुत्तों को पंजीकृत करेगा और ऐसे सभी कुत्तों एवं उनके मालिकों की सूची तिमाही आधार पर 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर तथा 1 जनवरी को मुख्य अधिशासी अधिकारी को भेजेगा,
5. छावनी परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत सैन्य सीमा के बाहर रहने वाले सभी व्यक्तियों, जिनके पास कुत्ते हैं या पालते हैं, को छावनी परिषद कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा।
6. प्रत्येक पंजीकृत कुत्ते को एक पट्टा पहनना होगा, जिस पर मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी एक धातु-टोकन लगा होगा, जिसके लिये प्रति वर्ष ₹0 120/- का शुल्क + टोकन की प्रचलित वास्तविक लागत ली जाएगी और उसी नंबर का टोकन पहनेगा जो रजिस्टर में है। यदि कोई टोकन खो जाता है तो टोकन की प्रचलित वास्तविक लागत का भुगतान करने पर उसकी द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकती है।
7. जिस कुत्ते का भी पंजीकरण किया जाना चाहिए, किन्तु पंजीकरण नहीं कराया गया है या धातु का टोकन नहीं पहना है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाये जाने पर छावनी परिषद द्वारा इस उद्देश्य के लिये निर्धारित स्थान पर हिरासत में लिया जायेगा।
8. ऐसी हिरासत के दौरान प्रतिदिन ₹0 200/- की दर से शुल्क वसूला जायेगा और ऐसे किसी भी कुत्ते का नियमानुसार निपटान कर दिया जायेगा, जिसपर किसी के द्वारा दावा न किया गया हो या शुल्क का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर न किया गया हो।

दण्ड

9. अधिनियम की धारा 349 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बोर्ड निर्देश देता है कि उपरोक्त अधिनियम 4 का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जायेगा जो ₹0 500/- तक बढ़ाया जा सकता है।

[पत्रावली संख्या FCB / ADM / Bye-laws-/Reagu / 2024]

(सुधीर कुमार)

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
फतेहगढ़ छावनी।